"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 24 मार्च 2007—चैत्र 3, शक 1929

राजभवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2007

अधिसूचना

क्रमांक एफ. 3-3/रास/यू. 2.—इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 (क्रमांक 20 सन् 1987) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, कुलाधिपति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2) के खण्ड (III) के अधीन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के प्रबंध मण्डल में निम्न सदस्यों का नामनिर्दिष्ट करते हैं :—

1. प्रो. (डॉ.) ए. के. दास,
   डीन, फेकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर,
   विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय,
   मोहनपुर, जिला नाडिया.

2. डॉ. शिवराज सिंह,
   डायरेक्टर, इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस
   बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी.

3. डॉ. एम. के. भौमिक,
   डायरेक्टर (रिसर्च फार्म्स एण्ड एक्सटेंशन)
   वेस्ट बंगाल, यूनिवर्सिटी ऑफ एनीमल एण्ड
   फिशरी साइंसेस, कोलकाता.

पी. सी. दलेई,
राज्यपाल के सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.